न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0.ए0.एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –99/2025

अनवान

मोडा उर्फ मोडीराम पुत्र देवा, जाति गंवार, उम्र 73 वर्ष, निवासी ग्राम बिना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री जितेन्द्र कुमार राठौर प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 11.05.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वयं के खातेकाश्त की कृषि आराजीयात ग्राम बीना का खेड़ा, पटवार हल्का मेघनिवास, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित है जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या नया 71 पुराना 75 में खसरा संख्या 207/70, 231/92 कुल किता 02 रकबा 0.8500 हैक्टर है जो खाते में पूर्ण रूप से मुझ प्रार्थी के खाते नाम दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त जमीन पर मै प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबंदी नकल मे मेरा नाम मोडीराम पुत्र देवा लिखा हुआ है, जो कि उक्त नाम मोडीराम पूर्व मे सहवन से दर्ज हो गया है, जबकि मुझ प्रार्थी के आधार कार्ड 7391 8127 2658 व मेरे पहचान पत्र तथा मुझ प्रार्थी के ग्राम बीना का खेड़ा, पटवार हल्का मेघनिवास, तहसील रावतभाटा कि जमबंदी सम्वत 2076–2079 की खाता संख्या 22 व खाता संख्या 23 मे मुझ प्रार्थी का नाम मोडा पुत्र देवा नाम दर्ज है, इस प्रकार उक्त दोनो नाम मोडीराम व मोडा मुझ प्रार्थी के ही नाम है, तथा मुझे प्रार्थी को दोनो ही नामो से जाना व पहचाना जाता है। पूर्व में सहवन से मुझ प्रार्थी का नाम उपरोक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित जमाबंदी खाता संख्या 71 मे मेरा नाम मोडीराम दर्ज हो गया था इसलिए मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे मोडीराम नाम लिखा हुआ है, जबकि मेरा नाम सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र व ग्राम बिना का खेड़ा की अन्य जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड मे मोडा लिखा हुआ है, इसलिए मेरे नाम की इन्द्राज दुरूस्ती कर पैरासंख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे मुझ प्रार्थी का नाम मोडीराम उर्फ मोडा किया जाना न्यायोचित है। अंत में निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी के खाते दर्ज रिकॉर्ड कृषि आराजीयात ग्राम बीना का खेड़ा, पटवार हल्का मेघनिवास, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित होकर जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या नया 71 पुराना 75 में खसरा संख्या 207/70, 231/92, कुल किता 02 रकबा 0.8500 हैक्टर मे मुझ प्रार्थी का नाम मोडीराम उर्फ मोडा किये जाने कि इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 08.04.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार ग्राम बिना का खेडा प0ह0 मेघनिवास के खाता संख्या 71 कुल किता 02 रकबा 0.85है0 भूमि मोडीराम पुत्र देवा जाति गंवार हिस्सा पूर्ण खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एवं ग्राम बीना का खेड़ा प0ह0 मेघनिवास के खाता संख्या 22 आराजी संख्या 120/70 रकबा 5.10है0 हिस्सा 1/36 मोडा पुत्र देवा जाति गंवार दर्ज खातेदारी रिकार्ड है। मौका जांच एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार खाता संख्या 71 व खाता संख्या 22 एक व्यक्ति मोडा पुत्र देवा के नाम है परन्तु भुलवश खाता संख्या 71 में मोडीराम पुत्र देवा हो गया है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज मोडा पुत्र देवा जाति गंवार के नाम से बने हुए है। अतः मोडीराम की जगह मोडा किया जाना उचित है। अंत में निवेदन किया है कि जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि खाता संख्या 71 में अंकित मोडीराम पुत्र देवा नाम त्रुटिवश दर्ज हुआ है तथा वास्तविक एवं सही नाम मोडा पुत्र देवा है। राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण कर मोडीराम के स्थान पर मोडा पुत्र देवा अंकित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतित होता है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है प्रार्थी के नाम सहखातेदारी हक से ग्राम बीना का खेड़ा, पटवार हल्का मेघनिवास, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित होकर जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या नया 71 पुराना 75 में खसरा संख्या 207/70, 231/92 कुल किता 02 रकबा 0.8500 हैक्टर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त भूमि मे प्रार्थी के बचपन का नाम मोडीराम दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असल नाम मोडा होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के नाम मोडीराम के स्थान पर मोडीराम उर्फ मोडा करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:–आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया ग्राम बीना का खेड़ा, पटवार हल्का मेघनिवास, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित होकर जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या नया 71 पुराना 75 में खसरा संख्या 207/70, 231/92 कुल किता 02 रकबा 0.8500 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के नाम मोडीराम के स्थान पर मोडीराम उर्फ मोडा दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को सुनाया गया

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner